न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.औ.) गुलाबपुरा

बईजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.– 177/2012

उनवान

1 महादेवजी स्थान देह खेजडी जरिये पुजारी पारस रावल गुरु हजारी रावल (आयस) महादेवजी स्थान देह, खेजडी तहसील हुरडा ।

–वादी

बनाम

1 ओमनाथ वल्द लक्ष्मणनाथ जोगी निवासी बडी कुण्डिया तहसील बनेडा हाल मुकाम खेजडी तहसील हुरडा ।

2 श्रीमति सुगना पत्नि ओमनाथ जोगी, निवासी बडी कुण्डिया तहसील बनेडा हाल मुकाम खेजडी तहसील हुरडा ।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री मोहम्मद निशार वकील वादी ।
श्री बलवन्ता आमेटा वकील प्रतिवादी

वादपत्र अर्न्तगत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:निर्णय:–

दिनांक– 13.06.2018

1– वादीगण के द्वारा यह वाद पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया गया है कि वाके ग्राम खेजडी तहसील हुरडा में वादी स्थान की निम्नांकित आराजीयात वर्णित हैं, जिस पर वादी बहेसियत पुजारी निरन्तर काबिजकाश्त चला आ रहा है । खाता संख्या– 652 आराजी नम्बर– 386, 632, 634, 646, 647, 799, 802, 803, 804, 811, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 858, 859, 1095, 1096, 1102, 1773, 1776, 1777, 1981, 1985, 2093 किता 30 रकबा 189 बीघा 16 बिस्वा भूमि ।

2– उपरोक्त वर्णित आराजीयात महादेवजी स्थान देह खेजडी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर पुजारी पारस रावल अपने गुरु हजारी रावल जी के समय से ही शान्तिपूर्वक ढंग से काबिज होकर काबिजकाश्त चला आ रहा है ।

3– प्रतिवादीगण का उपरोक्ताकित आराजीयात से कोई सरोकार वास्ता न होते हुए भी आराजीयात वर्णित शुदा में आये दिन दस्तदांजी करते है तथा काश्तशुदा फसल को जबरन काट कर ले जाने की धमकी देते है

(मुहर/हस्ताक्षर) ...कलेक्टर ...) गुलाबपुरा ...भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

फैलाने पर आमादा है एवं पूजारी पारस रावल के साथ रंगीन अपराध करने पर आमादा है ।

4— प्रतिवादीगण का उपरोक्त कृत्य नाजायत है, वादी अपने गुरु हजारी रावल के समय से ही उक्त धार्मिक स्थल की पूजा अर्चना रस्म रिवाज हिन्दु धर्म अनुसार करता आ रहा है इस कारण प्रतिवादीगण नाजायज फायदा उठाते हुए उक्त स्थान देह की आराजीयात पर जबरन कब्जा करने, फसल काश्त करने व आराजीयात को हडपने की नियत से नाजायज मजमा कायम करते हुऐ वादी को बेदखल कर जबरन आराजीयात से महरुम करने एवं उसे परेशान कर के भूमि को जबरन हडपने की नियत रखे हुए है। जिनको इस प्रकार का कृत्य नही करने के लिए बजरिय स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना न्यायहित में जरुरी है ।

5— प्रतिवादीगण को उक्त नाजायज कृत्य करने से रोका नही गया तो प्रतिवादीगण जबरन वादी को बल पूर्वक गलत हथकण्डे अपना कर उसे भूमि से बेदखल कर देगे तथा उसे आराजीयात छोडकर भागने के लिए मजबूर कर डालेगें । जिससे वादी एवं वादी की गुरु माता मु0 हगामी बेवा हजारी जी रावल के साथ—साथ वादी के परिजनों की रोजीरोटी का जरिया छिन जाने से भरण पोषण करने का संकट पैदा हो जावेगा एवं अपने हक अधिकारों से वंचित होना पड जायेगा एवं उक्त स्थान देह आराजी पर प्रतिवादीगण अपने नाजायज मनसुबे में सफल होकर नाजायज अतिक्रमण कर कब्जा कर लेगें जिससे मानसिक क्लेश होगा और आर्थिक हानि होगी, जिसकी पूर्ति की जाना कतई सम्भव नही होगा ।

6— अन्त में कथन किया कि बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की पारित फरमायी जावे कि कलम नम्बर— 01 में वर्णित आराजीयात जो कि वादी की कब्जे एवं खातेदारीशुदा है में वादी के कब्जेकाशत में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का हस्तक्षेप दस्तदांजी एवं बलपूर्वक कब्जा करने की कार्यवाही से रुके रहे तथा उनके रिश्तेदार नौकर, चाकर, रिश्तेदारान आदि के मार्फत किसी प्रकार का नाजायज कृत्य नही करे करावें तथा वादी द्वारा काश्त की हुई फसल को आराजीयात में खेड पेड पौधो को नुकसान कारित नही करे न करावें। दौराने वाद प्रतिवादीगण उपरोक्त आराजीयात से वादी को बेदखल करने से कामयाब हो जावे तो पुनः प्रतिवादीगण के खर्चे से पुनः वाद दायरी की स्थिति में लायी जाने का आदेश प्रदान फरमावें ।

कलेक्टर
) गुलाबपुरा
भीलवाड़ा

7— प्रस्तुत वाद पत्र बाद जॉच पूर्व में प्रकरण संख्या— 84/2006 पर दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाने पर प्रतिवादीगण के द्वारा दिनांक 26.07.2006 को जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया। जिसके प्रति वकील वादी को

Scanned by CamScanner

उपलब्ध कराई जाने पर प्रतिवादी के काउण्टर क्लेम का जवाब दिनांक 09.04.2007 को प्रस्तुत किया गया।

8— प्रकरण में वाद पत्र एवं जवाबदावा के आधार पर दिनांक 29.07.2008 को निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गई :—

तनकी नं.— 1	आया वादपत्र की कलम नम्बर—1 में वर्णित आराजीयात महादेव जी स्थान देह खेजडी के नाम दर्ज होकर पुराजी पारस रावल अपने गुरु हजारी रावल के समय से काबिज काश्त चला आ रहा है।	— वादी
तनकी नं.— 2	आया आराजी मुतदाविया से प्रतिवादीगण का कोई सरोकार वास्ता नही होते हुये भी आये दिने आराजीयात में दखलन्दाजी करते है तथा काश्तशुदा फसल को जबरन काटकर ले जाते है।	— वादी
तनकी नं.— 3	आया वादी वादपत्र के कलम नम्बर— 5 में वर्णित कारणों से प्रतिवादी के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी प्राप्त करने का अधिकारी है।	— वादी
तनकी नं.— 4	आया वादी पारस रावल, महादेव जी स्थान देह का पुजारी नही है, पारस रावल कूटरचित दस्तावेजात के आधार पर महादेव जी स्थान देह खेजडी की आराजीयात को हडपना चाहता है।	— वादी
तनकी नं.— 5	आया वादी पारस रावल ने पूर्व में भी एक वाद संख्या— 05/97 पेश किया जो दिनांक 13.08.97 को खारिज कर दिया गया, इसलिए उक्त वादपत्र प्राथमिक स्टेज पर ही खारिज होने योग्य है।	—प्रतिवादी
तनकी नं.— 6	महादेव जी स्थान देह की सेवा पूजा प्रतिवादी ही करता आ रहा है तथा उनकी चल अचल सम्पति पर प्रतिवादी बैहेसियत पुजारी काबिज है जिसे वादी हडपना चाहता है इसलिए वादी को काउण्टर क्लेम के जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है ।	—प्रतिवादी
तनकी नं.— 7	आया जवाबदावा के कलम नम्बर— 15 ख में वर्णित आराजीयात को प्रतिवादी महादेव जी स्थान देह के नाम दर्ज कराने का अधिकारी है।	—प्रतिवादी
तनकी नं.— 8	आया जवाबदावा के कलम नम्बर— 15 ग में वर्णित आराजी पुनः महादेव जी स्थान देह के नाम दर्ज होनी चाहिये ।	—प्रतिवादी
तनकी नं.— 9	अनुतोष ।	

कलेक्टर
) गुलाबपुरा
भीलवाड़ा

9— वादी के द्वारा शाहादत सबूत पेश करने हेतु समुचित अवसर लिये जाने के उपरान्त भी न्यायालय द्वारा दिनांक 12.05.2009 को अंतिम अवसर दिनांक 03.11.2009 को इस हिदायत के साथ अवसर दिया गया कि आगामी तारीख पेशी पर शाहादत पेश नही होने की दशा में शाहादत वादी स्टेज बन्द समझी जायेगी । किन्तु वादी शाहादत सबूत पेश करने में असफल रहने से दावा वादी दिनांक 23.03.2010 को खारिज कर दिया गया । जिससे रुष्ठ होकर उक्त निर्णय के विरुद्ध माननीय न्यायालय भू—प्रबन्ध एवं पदेन राजस्व प्राधिकारी भीलवाडा के

Scanned by CamScanner

यहाँ अपील प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय भू-प्रबन्ध एवं पदेन राजस्व प्राधिकारी भीलवाड़ा ने अपने प्रकरण संख्या- अपील/टी.ई. ए/ 44/2010 में दोनो पक्षों की सुनवाई करने के बाद दिनांक 30.08.2011 को निर्णय पारित किया गया, जिस अनुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर इस न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.03.2010 को खारिज किया जाकर अपीलार्थी / वादी द्वारा रेस्पोन्डेण्ड/प्रतिवादी को 500 रुपये की कॉस्ट अदा करने पर प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर निर्देश प्रदान किये गये कि प्रकरण में उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूत के आधार पर अजसिरे नो निर्णय पारित किया जावें ।

10 प्रकरण प्राप्त होने पर पंजीबुद्ध किया जाकर उभयपक्षों को जरिये नोटिस तलब किया जाने पर वादी की ओर से श्री मोहम्मद निशार एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया । तथा प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से बलवन्त आमेटा ने उपस्थित दर्ज करवाई ।

11 वादी ने अपने वाद पत्र की ताहिद में पी.डब्लू.-1 पारस रावल, में पी. डब्लू.-2 भेंवरलाल जाट के बयान करवाये गये । दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श-1 जमबान्दी सम्वत् 2059-62, प्रदर्श-2 आयुक्त देह स्थान का पत्र , प्रदर्श-3 तहसीलदार हुरडा का पत्र, प्रदर्श- 4 नामान्तकरण, प्रदर्श- 5 उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, प्रदर्श- 6 अपर जिला कलक्टर का पत्र, प्रदर्श-7 देवस्थान विभाग उदयपुर द्वारा जारी पत्र, प्रदर्श- 8 कलक्टर जागीर द्वारा जारी पत्र, प्रदर्श- 9 शपथ पत्र, प्रदर्श-10 जिला कलक्टर को ग्राम खेजडी के ग्राम वासियों द्वारा लिखा पत्र, प्रदर्श-11 नाथ समाज का पत्र, प्रदर्श-12 नेहरु नवयुवक मण्डल का पत्र, प्रदर्श-13 विकास पचांयत खेजडी का पत्र, प्रदर्श-13 विकास पचांयत खेजडी का पत्र, प्रदर्श-14 विकास पचांयत खेजडी का पत्र, प्रदर्श-15 विकास पचांयत खेजडी का पत्र, प्रदर्श-16 सेवा पूजा का प्रमाण पत्र, प्रदर्श-17 जमाबन्दी सम्वत् 2047-2050, प्रदर्श-18 से 20 लगान की रसीदे, प्रदर्श-21 शपथ पत्र की प्रति, प्रदर्श-22 ओमनाथ द्वारा जारी पत्र, को प्रदर्श करवाया गया। अन्य कोई गवाह अथवा दस्तावाजी साक्ष्य पेश नही करने से साक्ष्य वादी स्टेज बन्द की गई ।

12 प्रतिवादी के द्वारा वादी के गवाह पी.डब्लू-1 पारस रावल से ई.एक्स. डी.-1 इकरारनामा वास्ते चला मुकर्र, ई.एक्स.डी.-2 चेला इकारारनामा, ई.एक्स.डी.-3 छात्रप्रगति पत्र सन् 1970-71, ई.एक्स.डी.- 4 छात्रप्रगति पत्र सन् 1972-73, ई.एक्स.डी.- 5 खेलकूद प्रमाण पत्र, ई. एक्स.डी.- 6 विवाह निमन्त्रण पत्र (कंकूपत्री) ई.एक्स.डी.- 7 इकरारनामा दिनांक 03.07.2005, ई.एक्स.डी.- 8 राजीनामा प्रार्थना पत्र, ई.एक्स.डी.- 9 उपखण्ड न्यायालय का आदेश दिनांक 13.08.1997 को प्रदर्श करवाया गया। प्रकरण साक्ष्य प्रतिवादी में निहित करवाया गया।

13 तत्पश्चात प्रकरण आज लोक अदालत केम्प कोर्ट खेजडी पर प्रस्तुत हुआ। वकील उपभपक्ष उपस्थित हुये । वकील उभयपक्ष के द्वारा प्रकरण में अंतिम बहस सूने जाने पर अपनी सहमति व्यक्त करने से वकील उभयपक्ष की बहस सूनी गई । वक्त बहस वकील वादी का

कलेक्टर
गुलाबपुरा

Scanned by CamScanner

कथन था कि आराजी मुतदाविया महादेव जी स्थान देह के खातेदारी भूमि है जिस पर वादी पूराजी की हैसियत से काबिज है । प्रतिवादीगण का उक्त आराजीयात से कोई सरोकार वास्ता नही होते हुये भी आराजीयात में दखलन्दाजी करते है। काश्तशुदा फसल को जबरन काटकर ले जाने की व कब्जा करने की धमकी देते है। मना करने पर लडाई झगडा करने पर आमादा होते है । अन्त में कथन किया कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे ।

14 वकील प्रतिवादी का कथन था कि वादी पारस रावल महोदव जी स्थान देह का पूजारी नही है हगामी हजारी रावल की पत्नि नही है। पारस रावल चतरा रावल निवासी हणुतिया का निवासी है। हगामी पारस रावल की भूआ लगती है दोनो ही मिलकर कूटरचित दस्तावेजात के आधार पर महादेव जी स्थान की आराजी को हडपना चाहते है । तथा हजारी रावल की पत्नि बनकर महादेव जी की आराजी को विकय कर दी । जबकि महादेव स्थान की आराजीयात को विकय करने का उनको कोई अधिकार नही है वकील प्रतिवादी का यह भी कथन था कि वादी के द्वारा पूर्व में भी एक वाद अन्तर्गत धारा–188 व धारा–212 का पेश किया जो दिनांक 13.02.1997 को खारिज हुआ । अन्त में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि महादेव जी स्थान देह की है महादेव जी स्थान देह का प्रतिवादी संख्या–1 पूराजी है और पूजारी की हैसियत से महादेज जी स्थान देह की पूजा सेवा करता चला आ रहा है। महादेव जी स्थान देह की समस्त चल अचल सम्पति पर पूजारी की हेसियत से काबिज है जिसको वादी पारस रावल छीनना चाहता है। वादी को काउण्टर क्लेम के जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायसंगत है । वादी पारस रावल की माता द्वारा फर्जी दस्तावेज के आधार पर आराजी नम्बर– 1516 को अपने नाम दर्ज करवा ली तथा आराजी नम्बर– 1025, 1018,1019, 1381 और 1515 अपने नाम दर्ज करवा ली उसे पुनः महादेज जी स्थान देह के नाम दर्ज करवाये जाने की डिकी फरमायी जावें ।

15 जवाब बहस में वकील वादी का कथन था कि वादी पारस रावल ने विधि प्रकिया द्वारा कलक्टर जागीर भीलवाडा के यहाँ उतराधिकारी प्रमाण पत्र दिनांक 30.08.1991 प्राप्त कर बेहैसियत पूराजी पारस रावल गुरु हजारी रावल पूजारी मन्दिर श्री महादेव जी स्थान देह खेजडी का प्राप्त किया है। तथा मन्दिर की धूप, दीप, अगरबती करने हेतु कलक्टर द्वारा एनयूटी प्राप्त करने के लिये भी पारस रावल को अधिकृत किया गया है वकील वादी का यह भी कथन था कि महादेव जी स्थान की चल अचल सम्पति को लेकर प्रतिवादी ओमनाथ द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड गुलाबपुरा में पेश किया था जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों को सूनकर प्रतिवादी ओमनाथ द्वारा प्रस्तुत स्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया था । प्रतिवादी ओमनाथ के द्वारा महादेव जी स्थान की भूमि को हडपने के लिये यह प्रतिवाद प्रस्तुत किया है जो खारिज किया जावें ।

Scanned by CamScanner

16 मैंने वकील उभयपक्ष की बहस को सूना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । तनकीवार विवेचन निम्नप्रकार से रहा है ।

17 **तनकी नं.–1** इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है । इस तनकी के समर्थन में वादी के द्वारा ई.एक्स.पी–1, ई.एक्स.पी–5, ई. एक्स.पी– 10, ई.एक्स.पी–11, ई.एक्स.पी–13 ई.एक्स.पी– 14 ई.एक्स. पी–15 ई.एक्स.पी–16 को प्रदर्श करवाया गया। वादी के द्वारा प्रस्तुत ई.एक्स.पी.–1 जमाबन्दी सम्वत् 2059–62 मौजा खेजडी तहसील हुरडा के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर– 386, 632, 634, 646, 647, 799, 802, 803, 804, 811, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 858, 859, 1095, 1096, 1102, 1773, 1776, 1777, 1981, 1985, 2093 किता 30 रकबा 189 बीघा 16 बिस्वा भूमि श्री महादेव जी स्थान देह खातेदारी दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया । ई.एक्स.पी–5 कलक्टर (जागीर) भीलवाडा के उतराधिकारी प्रमाण पत्र दिनांक 30.08.1991 के अनुसार मन्दिर श्री महादेव स्थान देह खेजडी की सेवा पूजा पारस रावल गुरु हजारी रावल के द्वारा किया जाना प्रकट आया है। साथ ही वादी के द्वारा प्रस्तुत ई.एक्स.पी–10 ग्रामवासियान खेजडी के द्वारा जिला कलक्टर भीलवाडा को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 19.03.1996 ई.एक्स.पी–11 राजस्थान नाथ समाज जिला शाखा भीलवाडा के प्रमाण पत्र दिनांक 28.05.1996, ई.एक्स.पी–13,14,15,16 विकास पंचायत खेजडी का प्रमाण पत्र दिनांक 07.08.1995, 07.08.1997, 05.03.1998, 15.03.2002 के अनुसार भी स्पष्ट है कि मन्दिर मूर्ति की पूजा पारस रावल गुरु हजारी रावल करते आ रहे है। तद्नुसार इस तनकी का निर्णय वादी के पक्ष में किया जाता है ।

18 **तनकी नं.–2** इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है । इस तनकी के समर्थन में वादी के ई.एक्स.पी–21 को प्रदर्श करवाया गया , ई.एक्स.पी–21 न्यायालय कलक्टर (जागीर) भीलवाडा के प्रकरण संख्या– 348/1991 ओम रावल बनाम पारस रावल वगैरहा में प्रस्तुत ओम रावल गुरु हजारी रावल जाति जोगी निवासी खेजडी का शपथ पत्र जिसमें प्रतिवादी संख्या–1 ओम रावल ने अंकित किया है कि **"——— उक्त स्थान देह के पूजारी हजारी रावल गुरु शम्भू रावल का स्वर्गवास दिनांक 05.12.1984 को हो गया है , हजारी रावल के स्वर्गवास के पूर्व ही से श्री पारस रावल गुरु हजारी रावल, हजारी रावल के पास रहता चला आ रहा है। तथा मैं भी हजारी रावल के पास ही रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहा था । किन्तु हजारी रावल की मृत्यु के पश्चात मैंने कभी उक्त स्थान महादेव की सेवा चाकरी पूजा आदि कभी नही की । व न ही उक्त स्थान देह की मिलकीयत की आराजीयात ही सम्भाली——— महादेव जी स्थान देह खेजडी की सेवा पूजा श्री पारस रावल ही करते आ रहे है——— उनकी भूमियों पर भी वही काबिज है। उक्त स्थान देह का वार्षिक की राशि एवं 12 (क) का प्रमाण पत्र भी पारस रावल ही प्राप्त करने का अधिकारी है। मेरा इसमें कोई हक नही है———"** प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत उक्त शपथ पत्र से यह स्पष्ट है कि आराजी मुतदाविया से उनका कोई

कलेक्टर
गुलाबपुरा
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

सरोकार वास्ता नही है , तदनुसार इस तनकी का निर्णय वादी के पक्ष में किया जाता है ।

19 **तनकी नं.–3** इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है । इस तनकी के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन तनकी नम्बर– 1 व 2 में किया जा चूका है । पृथक से और विवेचन किया जाना न्यायालय उचित नही समझता है । तदनुसार इस तनकी का निर्णय वादी के पक्ष में किया जाता है ।

20 **तनकी नं.– 4** इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर है । इस तनकी के सम्बन्ध में प्रतिवादी का कथन है कि वादी पारस रावल महादेव जी स्थान का पूजारी नही है । अपने कथनों की पुष्टि उनके द्वारा कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही करवाया गया । जबकि वादी के द्वारा प्रस्तुत ई.एक्स.पी.–5 कलक्टर (जागीर) भीलवाडा के उतराधिकार प्रमाण पत्र कमाक/न्यायालय/जागीर/91/4083 – 85 दिनांक 30.09.1991 के अनुसार श्री महादेव स्थान देह खेजडी की सेवा पूजा हेतु हजारी रावल गुरु शम्भू रावल का उतराधिकारी पारस रावल गुरु हजारी रावल को घोपित किया जाना प्रकट आया है। जहॉं तक महादेव जी स्थान की जमीन को हडपने का कथन है मन्दिर मूर्ति की भूमि को खुर्द बुर्द करने / हडपने का किसी को कोई अधिकार नही है । तदनुसार इस तनकी का निर्णय प्रतिवादी के विरुद्ध किया जाता है ।

21 **तनकी नं.–5** इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर है । इस तनकी के समर्थन में प्रतिवादी के द्वारा ई.एक्स.डी–9 को प्रदर्श करवाया गया। प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत ई.एक्स.डी–9 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा के प्रकरण संख्या– 05/1997 अन्तर्गत धारा 212 रा.टी.ए. उनवान पारस रावल बनाम ओमनाथ में पारित आदेश दिनांक 13.08.1997 की प्रमाणित प्रति है। जिसमें न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मेन्टेवल नही होने से खारिज कर दिया गया था। क्योंकि न्यायालय ने यह माना है कि धारा–212 के तहत प्रार्थना पत्र खातेदारी ही ला सकता है प्रार्थी पारस रावल के द्वारा श्री महादेव जी स्थान की भूमियों के लिये स्वयं के नाम से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था । अतएव प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत ई.एक्स.डी–9 इस वाद पर कोई प्रभाव नही पडता है, तदनुसार इस तनकी का निर्णय प्रतिवादी के विरुद्ध किया जाता है।

कलेक्टर
गुलाबपुरा
नवाड़ा

22 **तनकी नं.–6** इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर है । इस तनकी के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन तनकी नम्बर– 1 व 2 में किया जा चूका है । पृथक से और विवेचन किया जाना न्यायालय उचित नही समझता है । तदनुसार इस तनकी का निर्णय प्रतिवादी के विरुद्ध में किया जाता है ।

23 **तनकी नं.–7** इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर है। इस तनकी के समर्थन में प्रतिवादी के द्वारा जमाबन्दी सम्वत्

Scanned by CamScanner

2059–62 की फोटोप्रति प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी पारस रावल की माता के द्वारा फर्जी दस्तोवज के आधार पर आराजी नम्बर– 1516, 1025, 1018, 1019, 1381 को अपने नाम करवा ली जो पुनः महोदव जी स्थान देह के नाम दर्ज करवाई जावें । प्रतिवादी ने अपने कथनों की पुष्टि में जो जमाबन्दी की फोटो प्रति प्रस्तुत की है वह हगामी दुख्तर हीरा रावल तथा सॉवर लाल जी , देवा लाल पिता बालु, मोडू पिता गणेश के खातेदारी की पेश की है। उक्त जमाबन्दीं से यह स्पष्ट नही होता है कि उक्त भूमि श्री महादेव जी स्थान की रही हो और हगामी द्वारा विक्रय करने से उक्त खातेदारों के नाम दर्ज हुई हो। अतः पूर्ण साक्ष्य के अभाव में इस तनकी का निर्णय प्रतिवादी के विरुद्ध किया जाता है ।

24 **तनकी नं.–8** इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादी पर है। इस तनकी के सम्बन्ध में प्रतिवादी के द्वारा किसी भी स्तर की कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही करवाई गई। अत साक्ष्य के अभाव में इस तनकी का निर्णय प्रतिवादी के विरुद्ध किया जाता है।

25 **तनकी नं.–9** समग्र रुप से हम पाते है कि वादग्रस्त आराजीयात श्री महादेव स्थान देह खेजडी की खातेदारी की भूमि है। मन्दिर मूर्ति को नाबालिक शाश्वत माना गया है और इनके हितो की रक्षा करना न्यायालय व सरकार का दायत्वि है । वादी व प्रतिवादीगण के द्वारा महादेव जी स्थान की उक्त भूमियों के लिये विवाद करते रहते है । ऐसी स्थिति में न्यायालय यह उचित समझता है कि आराजी मुतदाविया मन्दिर देह के पुजारी / सेवा पुजा करनें वाले व्यक्तियों को सुपुर्द नही कर उक्त शासन सचिव / प्रशासनिक सुधार (अनु– 3) विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक 6(17) प्र.सु./अनुं0–3/2002 दिनांक 27.05.2017 द्वारा मन्दिर / पूजा स्थलों की उचित व्यवस्था हेतु गठित समिति को सुपुर्द किया जावें । तदनुसार प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम खारिज किया जाकर दावा वादी डिक्री किया जाता है तथा न्यायालय प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मौजा खेजडी तहसील हुरडा की आराजी नम्बर– 386, 632, 634, 646, 647, 799, 802, 803, 804, 811, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 858, 859, 1095, 1096, 1102, 1773, 1776, 1777, 1981, 1985, 2093 किता 30 रकबा 189 बीघा 16 बिस्वा भूमि से पूजारी पारस रावल व प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर भूमि को अराजकीय मन्दिर पूजा स्थल की उचित व्यवस्था हेतु तहसील स्तर पर गठित कमेठी को सुपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त कमेठी उपरोक्त वर्णित आराजीयात भूमि के प्रबन्ध काश्त की समुचित व्यवस्था करेगा और प्राप्त होने वाली आय व्यय का ब्यौरा संधारित करेगें । प्राप्त होने वाली आय को मन्दिर के प्रबन्ध /सेवा/पूजा धार्मिक आयोजनों आदि पर उचित ढंग से लगाना एवं मन्दिर का समुचित विकास पर व्यय किया जायेगा । साथ ही पारस रावल व प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निशेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह उक्त वर्णित आराजीयात में किसी भी प्रकार का दखलदांजी न करे न करावें । तदनुसार डिक्री मुर्त्तिब हो निर्णय की प्रति तहसीलदार हुरडा को वास्ते अग्रिम

कलेक्टर
गुलाबपुरा
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

कार्यवाही प्रेषित की जावें । पत्रावली भूमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें । निर्णय आज दिनांक 13.06.2018 को खुली अदालत केम्प कोर्ट खेजडी पर सुनाया गया ।

(नन्दकिशोर सर्जोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

क कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
पुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner